निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1936 (शo)

(सं0 पटना 384) पटना, शुक्रवार, 25 अप्रील 2014

सं0 ग्रा0वि0-6/कौ0वि0-31/2013—174958

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

22 जनवरी 2014

विषय :—ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की पुर्नसंरचना के पश्चात निर्गत नई मार्गनिर्देशिका, आजीविका स्कील्स (Aajeevika Skills) मार्गदर्शिका 2013 और महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना मार्गदर्शिका के आलोक में कार्यान्वयन की नीति तथा राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में अतिरिक्त छूट (Interest Subvention) की स्वीकृति के संबंध में ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0जी0एस0वाई0) के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, (एन0आर0एल0एम0) लागू किया गया है।

2. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या लगभग दो तिहाई है। ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगारी होने से गरीबी के स्तर में बढ़ोतरी के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक विषमता की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान समय में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बाहरी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अनुसार युवाओं का कौशल संवर्धन किया जाना तथा ग्रामीण युवाओं को बाजार की माँग के अनुसार हो रहे बदलाव के अनुरूप ढ़ाला जाना आवश्यक है। इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु इनका कौशल उन्नयन एवं अनुश्रवण के साथ ही उनमें गुणवत्तायुक्त कुशल श्रमशक्ति (High quality skilled workforce) एवं बाजार की मांग के अनुरूप उद्यमिता के विकास (entrepreneur relevant to emerging market) के लिए सुयोग्य अवसर तैयार करने होंगे।

3. बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2005 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (BRLPS) का गठन सोसाईटी निबंधन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत किया गया है एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या. ग्रा0वि0.7/एन0आर0एल0एम0.52/10-3699 दिनांक. 05.04.2011 द्वारा इस संस्था को राज्य में एन0आर0एल0एम0 का क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एस0आर0एल0एम0 में व्यय की शक्तियाँ निहित की गयी है।

4. बिहार सरकार द्वारा तदनुरूप राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन की पुनर्संरचना के पश्चात भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत नई मार्गदर्शिका, आजीविका स्कील्स मार्गदर्शिका 2013, तथा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना मार्गदर्शिका के आलोक में कार्यान्वयन की नीति को अंगीकृत

करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा NRLM योजना के अंतर्गत लागू ब्याज की छूट नीति को निर्देशित 11 जिलों के साथ-साथ अन्य जिलों में भी लागू करने का मामला विचाराधीन था । जिसे विचारोपरान्त निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया है।

5. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन नीति होगी -

राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (NRLM)-

6.1 भारत सरकार द्वारा इस संबंध में संशोधित मार्गनिर्देशिका निर्गत की गई है । इसके नए प्रावधानों के अनुसार एन0आर0एल0एम0 के अंतर्गत गरीबों की सूची को उनकी भागीदारी की प्रकिया द्वारा सामुदायिक स्तर पर (Participatory Identification of Poor) तैयार किया जाएगा, जो एक पारदर्शी एवं न्यायसंगत प्रक्रिया होगी।

6.2 भारत सरकार के नये दिशानिर्देश में वित्तीय सहायता की परिवर्तित प्रक्रिया के अनुसार अब स्वयं सहायता समूहों एवं व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को कैपिटल सब्सिडी समाप्त कर दी गई है एवं स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों एवं स्वयं सहायता समूहों के उत्पादक संगठनों को वित्त पोषण दिया जायेगा जिसे सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund) कहा जायेगा। इस निधि से परिसंघों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को सामाजिक आर्थिक कार्यो को क्रियान्वित करने के लिए ऋण दिया जायेगा।

6.3 ब्याज की छूट और अतिरिक्त ब्याज छूट (Interest Subvention & Additional interest subvention) योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देश के 150 जिलों को इसके अन्तर्गत शामिल किया गया है । चयनित जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 % वार्षिक ब्याज की दर पर 3 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण की वापसी सीमा के भीतर करने पर ब्याज में 3%अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जायेगा । इसके अन्तर्गत बिहार के उन 11 (ग्यारह) जिलों का चयन किया गया है जिनमें एकीकृत कार्ययोजना (IAP) को लागू किया गया है। इन 11 जिलों का नाम क्रमश: इस प्रकार है :- अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, रोहतास, पश्चिम चम्पारण एवं सीतामढ़ी।

राज्य के अन्य जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों को भी 7 % वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम तीन लाख रूपये तक की ऋण राशि की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ब्याज में छूट की उक्त राशि के इंतजाम के लिए एन0आर0एल0एम0 के कुल वार्षिक आवंटन का एक हिस्सा इसके लिए अलग से रखा जाएगा। वर्ष 2013-14 में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए 6121.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

6.4 बिहार के उक्त 11 (ग्यारह) उग्रवाद प्रभावित जिलों के ही समान अन्य जिलों में भी स्वयं सहायता समूहों को समय पर कर्ज वापसी करने पर उपरोक्त सीमा तक की कर्ज राशि पर अतिरिक्त 3% ब्याज की छूट दी जायगी जिसके लिए राज्य द्वारा NRLM के तहत वहन किए जाने वाले 25% व्यय के अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा ।

वर्तमान वितीय वर्ष में इस पर 12.99 करोड रूपये का व्यय संभावित है । वर्तमान वितीय वर्ष में एन0आर0एल0एम0 के लिये उपलब्ध उदव्यय / बजट उपबंध से Reappropriation द्वारा इसके लिए व्यय का प्रावधान किया जायेगा।

आजीविका स्कील्स:-

7.1 बिहार सरकार द्वारा एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास सह नियोजन से संबंधित कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2013-2018 की अवधि में राज्य के 15 (पन्द्रह) लाख ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास कराकर उनके नियोजन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ग्रामीण निर्धन परिवारों के 18 से 35 वर्ष (विकलांगों एवं कमजोर अनुसूचित जनजातीय व्यक्तियों के लिए 45 वर्ष) तक के बेरोजगार युवाओं को बाजारोन्मुखी विधाओं में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता का संवर्द्धन करते हुए उन्हें उभरते बाजारों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

7.2 पूर्व में एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत कौशल एवं नियोजन हेतु कुल बजट की 15% धनराशि निर्धारित थी जिसे बढ़ाकार अब 25% कर दिया गया है। इस आलोक में नए दिशानिर्देश भी प्राप्त हैं। वर्ष 2013-14 की कार्ययोजना एवं बजट में MoRD, GoI का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

7.3 इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आजीविका स्कील्स मार्गदर्शिका में निम्न बिन्दु समावेशित हैं :-

कौशल संवर्धन एवं नियोजन, आजीविका कौशल का दृष्टिकोण, आजीविका दक्षता के विशेष अवयव, ग्राम पंचायत की भूमिका, स्वयं सहायता समूह की भूमिका, पात्रता, घटक एवं लागत के मानदण्ड, वार्षिक कार्य योजना (Annual Action Plan) आजीविका कौशल हेतु एस0आर0एल0एम0 द्वारा उठाये गये प्रशासनिक कदम, राज्य परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन योजना (State Perspective and Implementation Plan), परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) हेतु वर्गीकरण एवं मापदण्ड तथा भुगतान, प्रोटोकाल्स, अभिसरण (Convergence), प्रबंधन प्रक्रिया एवं अनुश्रवण तथा निगरानी, तथा परियोजना का समापन इत्यादि ।

7.4 कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेन्सियों (PIAs) का चयन भारत सरकार द्वारा निर्गत आजीविका कौशल से संबंधित मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। परियोजना प्रस्ताव की On Line प्राप्ति 24x7 की जायेगी। इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता एजेंसी (TSA) की मदद ली जायेगी । तकनीकी सहायता एजेंसी का चयन एन0आर0एल0एम0 के प्रोक्योरमेन्ट प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा। PIA से प्राप्त

परियोजना प्रस्तावों की मूल्यांकन समिति (Skills Project Appraisal Committee- SPAC 1) के निम्न सदस्य होंगे:—

1.	CEO/Addl. CEO, BRLPS	अध्यक्ष
2.	SPM- Jobs, BRLPS	सदस्य
3.	Finance Officer, BRLPS	सदस्य
4.	Procurement Specialist, BRLPS	सदस्य
5.	बिहार कौशल विकास मिशन (Bihar Skill Development Mission) के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	तकनीकि सहायता एजेंसी (TSA) के प्रतिनिधि	सदस्य

7.5 उपरोक्त समिति द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) से प्राप्त प्रस्तावों के डेस्क मूल्यांकन के उपरान्त आवश्यकतानुसार इनका फिल्ड (Verification) BRLPS द्वारा नामित सदस्य / सदस्यों के द्वारा किया जायेगा। कौशल प्रशिक्षण व नियोजन से संबंधित प्रस्तावों के डेस्क मूल्यांकन तथा फिल्ड मूल्यांकन का कार्य प्रस्ताव प्राप्ति के दो माह के भीतर पूरा कर लिया जायेगा।

7.6 योग्य पाये गये प्रस्तावों को परियोजना अनुमोदन समिति (Skills Project Approval Committee- SPAC 2) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति के निम्न सदस्य होंगे :-

1.	प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	CEO/Addl. CEO, BRLPS	सदस्य
3.	प्रधान सचिव वित्त विभाग, द्वारा नामित संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
4.	प्रधान सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
5.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित कौशल विकास एवं नियोजन के एक विशेषज्ञ	सदस्य

7.7 कौशल विकास एवं नियोजन परियोजना में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 75:25 के अनुपात में व्यय का वहन किया जायेगा। एन0आर0एल0एम0 / एस0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत कुल बजट की 25 प्रतिशत धन राशि इस मद में खर्च के लिए आंवटित है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में खर्च होने वाली राशि की व्यवस्था एवं व्यय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियत दर पर किया जायेगा।

7.8 सभी जिलों में प्रवासी आजीविका स्कील्स लाभार्थियों की सहायता हेतु टेलिफोन हेल्पलाइन की स्थापना की जायेगी।

7.9 प्रवासी आजीविका स्कील्स लाभार्थियों की सहायता एवं मार्ग दर्शन हेतु राज्य के बाहर प्रवासी संसाधन केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

7.10 राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा स्वीकृत कौशल अन्तराल विश्लेषण (Skills Gap Analysis) को आधार मानकर कौशल प्रशिक्षण व नियोजन हेतु ट्रेडों का चयन किया जायेगा।

7.11 आजीविका स्कील्स के नवाचारी गतिविधियों का क्रियान्वयन भी किया जायगा। इसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश BRLPS के स्तर से निर्गत किए जायेंगे ।

7.12 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गये निर्णयों, निर्देशों एवं मार्गदर्शिका को राज्य सरकार भी लागू करेगी।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP):-

8.1 महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की कृषि में भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनकी आय में निरन्तर वृद्धि करना है। इसके साथ ही महिलाओं की कार्य कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करना है। वर्तमान में यह एन0आर0एल0एम0 का एक मुख्य अवयव है जो तीन वर्षों तक संचालित होगा। इस परियोजना में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 75:25 के अनुपात में व्यय का वहन किया जायगा।

8.2 भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों / एजेंसियों (PIAs) द्वारा प्रस्तुत परियोजना के लिए MKSP के अंतर्गत 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। शेष राशि की व्यवस्था बिहार सरकार या अन्य दाता एजेंसियों या PIA के योगदान के द्वारा की जायेगी।

8.3 इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका में निम्न बिंदु समावेशित हैं :-

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का दृष्टिकोण, उद्देश्य, अपेक्षित परिणाम, कार्यनीति, निधिकरण, परियोजना क्षेत्रों की पहचान, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) का वर्गीकरण एवं मापदंड तथा भुगतान, परियोजना का सूत्रीकरण, अनुमोदन, प्रोटोकॉल्स, प्रबंधन प्रक्रिया एवं अनुश्रवण तथा निगरानी, अपरक्राम्य (Non-negotiable) तथा परियोजना का समापन इत्यादि।

8.4 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) का चयन भारत सरकार द्वारा निर्गत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) से सम्बंधित मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। परियोजना प्रस्ताव

BRLPS/SRLM द्वारा प्राप्त की जाएगी। परियोजनाओ के चयन के लिए आवश्यकता के अनुसार तकनीकी सहायता एजेंसी / विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। तकनीकी सहायता एजेंसी / विशेषज्ञों का चयन एन0आर0एल0एम0 के प्रोक्योरमेंट मानदंडों के अनुरूप किया जायेगा। PIA से प्राप्त प्रस्तावों की मूल्यांकन समिति (MKSP Project Appraisal Committee - MKSPPAC 1) निम्नवत होगी :-

1.	CEO/Addl. CEO, BRLPS	अध्यक्ष
2.	M.D. – WDC	सदस्य
3.	SPM- Livelihoods, BRLPS	सदस्य
4.	Finance Officer, BRLPS	सदस्य
5.	Procurement Specialist, BRLPS	सदस्य
6.	तकनीकि सहायता एजेंसी (TSA) के प्रतिनिधि / विशेषज्ञ	सदस्य

8.5 उपरोक्त समिति से प्राप्त प्रस्तावों के डेस्क मूल्यांकन के उपरांत उनका फील्ड मूल्यांकन (Field Appraisal) BRLPS द्वारा नामित सदस्य/ सदस्यों के द्वारा किया जायेगा। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना से सम्बंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन का कार्य तीन माह के भीतर पूरा कर लिया जायेगा।

8.6 Project Appraisal Committee (MKSPPAC 1) के द्वारा डेस्क् मूल्यांकन एवं तत्पश्चात हुए फिल्ड मूल्यांकन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन MKSP Project Approval Committee (MKSP PAC 2) के द्वारा किया जायगा। इस समिति की संरचना निम्नवत होगी :-

1.	प्रधान सचिव / सचिव ग्रामीण विकास विभाग	- अध्यक्ष
2.	CEO/Addl. CEO, BRLPS	- सदस्य
3.	प्रधान सचिव वित्त विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी	- सदस्य
4.	प्रधान सचिव / सचिव कृषि विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिवसे अन्यून स्तर के पदाधिकारी	– सदस्य
5.	प्रधान सचिव/ सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी	– सदस्य
6.	प्रधान सचिव/ सचिव उद्योग विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी	– सदस्य
7.	प्रधान सचिव / सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	– सदस्य

9. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गये निर्णयों, निर्देशों एवं मार्गदर्शिका को राज्य सरकार भी लागू करेगी।

10. इसमें राज्य योजना प्राधिकृत समिति की सहमति एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि को सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 384-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in